दिनांक 29.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 29/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना सिधारी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **125 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.07.2022 को थाना सिधारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सलारपुर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रामनयन सहित अभियुक्त 2–सूर्यभान 3–शिवप्रकाश उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 125 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रामनयन के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस एक्ट के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त सूर्यभान के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–277/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिधारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामनयन निवासी मंगरांवा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2–सूर्यभान निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

3–शिवप्रकाश उर्फ छोटू निवासी कमरूद्दीनपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–125 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>जनपद सम्भल/थाना असमोली</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.07.2022 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुकनाला तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष उर्फ हालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना असमोली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष उर्फ भोलू निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद जालौन/थाना कुठौन्द

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 400 रूपये नगद**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.07.2022 को थाना कुठौन्द व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निजामपुर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वेरनवे अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1–विमल 2–मोहित 3–कुलदीप 4–आशू उर्फ प्रिन्स 5–अंशुल कुमार 6–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार 400 रूपये नगद, लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल बरामद आदि हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.07.2022 को थाना कुठौन्द क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुठौन्द पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण उक्त घटना एवं थाना गोहन पर पंजीकृत चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे थाना कुठौन्द पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विमल निवासी नावर थाना गोहन जनपद जालौन।

2–मोहित निवासी गोपालपुर थाना गोहन जनपद जालौन।

3–कुलदीप निवासी रामपुरा थाना माधौगढ़ जनपद जालौन।

4–आशू उर्फ प्रिन्स निवासी सैदपुर उवारी थाना कुठौन्द जनपद जालौन।

5–अंशुल कुमार निवासी सैदपुर उवारी थाना कुठौन्द जनपद जालौन।

6–अजय निवासी रामपुरा थाना माधौगढ़ जनपद जालौन।

बरामदगी

1–लूट के 10 हजार 400 रूपये नगद।

2–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

4–02 मोटर साइकिल।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना कपिलवस्तु/मिश्रौलिया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 कारतूस, 06 अवैध तमंचा 315 बोर,**
- **2200/–रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.07.2022 को थाना कपिलवस्तु, मिश्रौलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 02 अभियुक्तों 1– सूरज

2–अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल, 03 कारतूस, 06 अवैध तमंचा 315 बोर, 2200/–रूपये नगद, चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिश्रौलिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी ग्राम पननी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

2–अनिल निवासी ग्राम महदेवा कुर्मी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल, 03 कारतूस।

2–06 अवैध तमंचा 315 बोर।

3– 2200/–रूपये नगद।

4– चोरी की 02 मोटर साइकिल।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **चोरी की 02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 28.07.2022 की रात्रि थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुदारन चौराहे पर चेकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर 1–हरिशंकर उर्फ बब्लु 2–राजबाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त हरिशंकर उर्फ बब्बल के विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त राजाबाबू के विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विरूद्ध थाना अहरौरा पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद मीरजापुर व आस पास के जनपदों से वाहनों की चोरी करके सस्ते दामों में बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–हरिशंकर उर्फ बब्बल निवासी दुर्वासा का पूरा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

2–राजबाबू निवासी सुरहा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2–चोरी की 02 मोबाइल फोन ।

<u>जनपद महोबा/थाना अजनर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **24 नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.07.2022 को थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रजपुरा से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त 1– देवसिंह उर्फ देवी सिंह

2—हरिश्चन्द्र 3—नन्दू उर्फ नन्दराम 4—प्रहलाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से 20 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 24 नाल अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अजनर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवसिंह उर्फ देवी सिंह निवासी रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा।

2—हरिश्चन्द्र निवासी रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा।

3—नन्दू उर्फ नन्दराम निवासी रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा।

4—प्रदलाद निवासी दिसरापुर बिलबई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामदगी

1—20 निर्मित/अर्द्धनिर्मित शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—24 नाल।

4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 1078 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब**
- **04 मोबाइल फोन, 1050/—रूपये नगद**
- **02 कार बरामद**

दिनांक 28.07.2022 की रात्रि को थाना निगोही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैमुआ पुल के पास बीसलपुर रोड पर चेकिंग के दौरान

05 अभियुक्तों 1—अजय 2—नैनसिंह 3—ओमेन्द्र 4—रोहिताश कुमार 5—जतिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 1078 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 04 मोबाइल फोन, 1050/—रूपये नगद, 02 कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अजय निवासी ग्राम बास बोझ थाना बहेडी जनपद बरेली।

2—नैनसिंह निवासी ग्राम बास बोझ थाना बहेडी जनपद बरेली।

3—ओमेन्द्र निवासी ग्राम अबुपुरा जोखनपुर थाना बहेडी जनपद बरेली।

4—रोहिताश कुमार निवासी मोहल्ला पटेलनगर जादुनगर थाना बहेडी जनपद बरेली।

5—जतिन कुमार निवासी मोहल्ला पटेलनगर जादुनगर थाना बहेडी जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 1078 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।

2— 04 मोबाइल फोन।

3—1050/—रूपये नगद।

4—02 कार।

- **<u>जनपद रायबरेली (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 58 लाख 53 हजार 622 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस ने अभियुक्त नफीस घोसी निवासी छोटा घोसियाना थाना सलोन जनपद रायबरेली द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 58 लाख 53 हजार 622 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—कमलेश 2—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना टिकैतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या—04 बाराबंकी द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलदार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 24 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का एक सदस्य 1,195 किग्रा स्मैक के साथ गिरफ्तार।</u>

दिनांक 28—07—2022 को एस0टी0एफ0 को अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिराह के एक सदस्य को थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र से 01.195 किलो स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

अशोक पुत्र कवल सिंह नि0 बुढ़ेडा थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर।

बरामदगीः-

1. 01.195 किग्रा स्मैक (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये)
2. 01 मोबाईल फोन।
3. 2,100 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

दिनांक 28.07.2022, स्थान मोन्टी तिराहा, थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर समय 20.35 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की समस्त इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ से टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विनीत चौधरी, हे0कां0 प्रमोद कुमार, कान्स0 दीपक, कां0 विवेक पवॉर, कां0 विनय कुमार, कां0 प्रदीप धनकड़ कां0 विकास कुमार बंसला एसटीएफ टीम मेरठ अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोन्टी तिराहे पर एक थैले में कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर किसी के इन्तजार में खड़ा हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए एसटीएफ टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मोन्टी तिराहे पर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने का एक गिरोह है जिसका वह सक्रिय सदस्य है। जनपद बरेली से स्मैक लाकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व आस-पास के जनपदों में इसकी सप्लाई करता है। यह स्मैक पीलीभीत बाईपास पर एक व्यक्ति इसे देता हैं, इसके पहले भी 2-3 बार वही से

स्मैक ला चुका है। यह स्मैक ग्राम दूमखेडा चिलकाना सहारनपुर में रोहित नाम के एक व्यक्ति को भी देता है। यह लोग इस स्मैक को फुटकर में सप्लाई करते है, जिससे काफी मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 181/2022 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफः गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में जनपद आजमगढ़ से फरार/वांछित रू0 15,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी रजनीश यादव अपने 02 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार।

दिनॉक 28—07—2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना जीयनपुर, जनपद—आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 395/2022 धारा 3(1) गै0 एक्ट में वांछित रू0 15,000/— पुरस्कार घोषित अपराधी रजनीश यादव को उसके 02 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— रजनीश यादव पुत्र बन्शराज यादव नि0 मैगापुर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

2— माता प्रसाद वर्मा पुत्र जयराम प्रसाद वर्मा नि0 ग्राम करनपुर, थाना—जीयनपुर, आजमगढ़।

3— विशाल रजक पुत्र सुनील रजक नि0 औझौली, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।

बरामदगी—

1. 01 अदद 315 बोर तमन्चा।
2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. 01 अदद मोटर साइकिल यूपी 53 डीक्यू 7655
5. रू0 300 नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :–</u>

पावर हाउस बेरमा मुबारकपुर–जीयनपुर मार्ग थाना क्षेत्र जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 28–07–2022

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 सुशील सिंह की टीम जनपद आजमगढ़ में मौजूद थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि थाना जीयनपुर, जनपद–आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमें में वांछित रू0 15,000/– पुरस्कार घोषित अपराधी रजनीश यादव अपने 02 साथियों के साथ मुबारकपुर बाजार में किसी सर्राफा व्यवसायी से लूट करने के उद्देश्य से मुबारकपुर बाजार जाने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम तत्काल स्थानीय पुलिस को साथ लेकर पावर हाउस बेरमा मुबारकपुर–जीयनपुर मार्ग थाना क्षेत्र जीयनपुर, आजमगढ़ पर इन्तजार करने लगी। तभी एक हीरो सीडी डीलक्स मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो वह लोग पुलिस टीम पर लक्ष्य बनाकर जान मारने की नियत से फायर कर दिये, परन्तु एसटीएफ टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर तीनों अभियुक्तो को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त रजनीश ने बताया कि मेरे विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में कई अभियोग पंजीकृत है तथा थाना जीयनपुर में गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है, जिसमें गिरफ्तारी हेतु मेरे ऊपर रू0 15 हजार का पुरस्कार घोषित था। जिससे बचने के लिए इधर उधर छिपकर रह रहा था। मुकदमें की पैरवी के लिए पैसे की जरूरत थी, जिस हेतु अपने साथियों के साथ प्लान बनाकर मुबारकपुर बाजार के किसी सर्राफा व्यवसायी से लूट करने जा रहा था। अभियुक्त माता प्रसाद ने बताया कि मेरे विरूद्ध थाना सरायमीर, आजमगढ़ में 03 अभियोग पंजीकृत है, वर्ष—2017 में 17 अदद अवैध पिस्टल के साथ अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना—जीयनपुर जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0: 482/2022 धारा 307, 506, 34 भादवि व मु0अ0सं0 483/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त रजनीश यादव का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	125/2016	302, 307, 120बी भादवि	जहानागंज	आजमगढ़
2.	199/2017	307 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
3	330/2017	3 (1) गैगेस्टर एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
4	66/2017	147, 148, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
5	211/2017	379, 411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
6	239/2021	386, 504 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
7	274/2021	504, 506 भादिव	जीयनपुर	आजमगढ़
8	470/2022	3 (1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त माता प्रसाद का ज्ञात आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	201/2017	307, 120बी	सरायमीर	आजमगढ़
2.	205/2017	3/5/25/27 आर्म्स एक्ट	सरायमीर	आजमगढ़
3	22/2018	3 (1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	सरायमीर	आजमगढ़

————————